2/12/2025
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान्
सीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~
दिनांक 6/1/26 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

6/1/2026- ~~[illegible]~~ निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस प्रा० पत्र सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि तरमीम पत्र प्रति आराजीयान स्वीकार की मौजूदी आराजीयान है जो हैसियत भू-प्रबन्ध अतरजीगण के नाम दर्ज हो गये। किसने व आराजीयान सुर्ख-सुर्ख करने पर आमादा है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के परवन्ह किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि गत बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः तरमीम पत्र आदि० स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मूल वाद 535/2025 के निर्णय तक मौका तरमीमी का कब्जा प० ह० मुश्तर बख्तील कपासन की आ०सं० 313, 321, 304, 305, 306, 307, 610, 322, 608 व मौका गोदियाना प० ह० मुश्तर की आ०सं० 801 में यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मैपल कुमार होकर सरकार के रूप में आगे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन